

वहाँ हेतु 2002 में है। उपरोक्त वारंटे अन्त  
दिनांक 24-12-19 को पेश हो।

डिविजनल कमिश्नर

जोधपुर

24-12-19

अपील नं. व इन्फॉर्म के अन्तर्गत  
अपस्थित। अपस्थित अन्तर्गत के अन्तर्गत  
वह न भुक्ती गयी बाद मुन्ना  
न्यायालय के अन्तर्गत दिनांक 1.1.19  
को पेश हो।

डिविजनल कमिश्नर

जोधपुर

1.1.19

पत्रावली पेश हुई निर्णय सरे इजलास सुनाया गया तथा  
पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर पत्रावली के संलग्न किया  
गया। निर्णयानुसार अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा  
अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत  
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में से त्रुटिवश  
बिलानाम दर्ज भूमि को पुनः अपीलान्त के खातेदारी में अंकित  
करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से  
कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की सत्य  
प्रति के साथ पुनः लौटायी जावे।

( ललित कुमार गुप्ता )

डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर

